फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

विनोद कुमार बनाम गोविन्द वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 मु0नं0– 88/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.10.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया है कि विवादित भूमि वादीगण के नानाजी प्रभात्या पुत्र मांग्या की खातेदारी की भूमि रही है, वादीगण के नानाजी प्रभात्या पुत्र मांग्या की मृत्यू हो जाने के बाद मृतक प्रभात्या की विरासत का नामान्तकरण संख्या 422 भरा गया, जिसमें वादीगण की माता प्रेमदेवी पुत्री प्रभात्या का अपने पिता की पैतृक संपत्ति में से विरासत का नामान्तकरण नहीं खोला गया जिसके संबंध में वादीगण द्वारा दावा उदघोषणा पेश किया गया है। प्रतिवादीगण विवादित भूमि को बेचान करने पर आमादा हो रहे है, इसलिए पत्रावली में जारी अस्थाई निषे0 को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। प्रेमदेवी नाम की कोई पुत्री प्रभात्या पुत्र मांग्या के नहीं थी। अप्रार्थीगण विवादित भूमि में रिकॉर्डेड खातेदार है एवं रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध नियमानुसार अस्थाई निषे0 जारी नहीं की जा सकती है। न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण के हितो को अपूर्णनीय क्षति कारित हो रही है तथा अप्रार्थीगण अपनी स्वंय की खातेदारी भूमि में पाबंद हो गए है। इसलिए न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषे0 को खारिज किया जावे। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ जमाबंदी का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण विवादित भूमि में रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत जगदीशकुमार बनाम बंसो उर्फ हरबन्सकौर निगरानी संख्या 141/200/टीए/श्रीगंगानगर का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया जिसके अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषे0 जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। तथा प्रार्थीगण वादपत्र में 3/32 हिस्से के संबंध में उदघोषणा चाही है, तथा संपूर्ण भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी है, इसलिए वर्तमान रिकॉर्डेड खातेदार को अस्थाई निषे0 से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्वांत अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषे0 दिनांक 08.07.2025 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	